ipcc
independent
police complaints
commission

क्रम अनुसार

पुलसि के विरूद्ध कैस शिकायत करनी है

पुलसि के विरूद्ध शिकायत करनी

IPCC का अर्थ है इनडिपैनडण्ट पुलीस कमप्लेंटस कमिशॅन। जिस प्रकार पुलीस के विरुद्ध की गई शिकायतो को देखा जाता है हम उसके लिए ज़िम्मेवार है।

शिकायत करने के लिए आपको इन आसान कदमो की पालना करनी होगी:

मै किस बारे मे शिकायत कर सकता हूं?	1
मै कैसे शिकायत कर सकता हूं?	2
क्या कहना है	3
शिकायत करते समय क्या आशा रखूं	3
आपकी शिकायत कौन देखेगा	3
आपको कैसे सूचित रखा जाएगा	4
एक बार जब आपकी शिकायत देख ली जयेगी तो क्या होगा?	4
जिस प्रकार आपकी शिकायत को देखा गया यदि आप उससे खुश नही है ते क्या करना है?	4

मै किस बारे मे शिकायत कर सकता हूं?

यदि आप समझते है कि किसी पुलीस के लिए काम करने वाले ने आपके साथ दुरव्यवहार किया है, शिकायत करना आसान है। एसा तब होता है यदि कोई आपके साथ अनुचित था या किसी ने आपको चोट लगाई हो।

आप किसी भी रैन्क के पुलीस अफसर या पुलीस सटाफ के किसी भी सदस्य के बारे मे शिकायत कर सकते है।

यदि किसी मित्र या रिशतेदार के साथ पुलीस ने दुरव्यवहार किया है जिसके कारन आप दुखी है, आप शिकायत कर सकते हैं।

आप तब भी शिकायत कर सकते है यदि आपने किसी के साथ पुलीस द्वारा दुरव्यवहार होते देखा है जिसे आप जानते नही।

IPCC केवल पुलीस आफसरो और सटाफ के व्यवहार के विरूद्ध शिकयतो से निपट सकती है।

यदि आप की शिकायत पुलीस की नीतियो के विरूद्ध है, आपको फोर्स के चीफ कान्सटेबल से या लोकल पुलीस अथारिटि से सम्पर्क करना चहिये।

क्या मेरी जगह कोई और शिकायत कर सकता है?
जी हां, कर सकता है। कोई मित्र, रिश्तेदार या कमूनिटि गरूप का मैंबर आपके आधार पर शिकायत कर सकता है यदि आप लिख कर सहमति दें कि आप उनके द्वारा आपके आधार पर शिकायत किये जाने से खुश है।

यदि आप पहल दें, वह आपकी शिकायत लिख सकते है और यह कि आपने उनके द्वारा आपके आधार पर शिकायत करने को सहमति दी है, और यह दिखाने के लिये आप हासताक्षर कर सकते है। यह अंग्रेज़ी के इलावा किसी और भाशा मे हो सकता है यदि आप के लिये एसा करना आसान हो तो।

अधिक जानकारी के लिये, IPCC की वैबसाइट पर जाएं (www.ipcc.gov.uk)

शिकायत कैसे करनी है

मै किस को शिकायत करूं? शिकायत करने के बहुत सारे तरींके है, इस लिये आप वह तरीका चुन सकते है जो आप के लिये सब से अच्छा है।

आप
> पुलीस सटेशन मे जा कर समस्या समझा सकते हैं
> फोन, ईमेल, पोस्ट या फैक्स द्वारा किसी भी पुलीस फोर्स से सम्पर्क कर सकते हैं

मै और किस को शिकायत कर सकता हूं?
> IPCC मे किसी को। हमे इस पते पर लिखें:
इनडिपैनडण्ट पुलीस कमप्लेंटस कमिश्ॅन
Independent Police Complaints Commission,
90 High Holborn, London WC1V 6BH.

या हमे इस नम्बर पर फोन करे 08453 002 002
(काल का खर्च लोकल रेट अनुसार)।

या हमे इस पते पर ईमेल करे enquiries@ipcc.gsi.gov.uk

या
> आप सम्पर्क कर सकते है अपने लोकल:
- सिटीज़न एडवाइज़ बियोरो से
- यूथ ओफैंडिन्ग टीम
- रेशिअल इकुयेलिटि काउन्सल
- प्रोबेशन सरविस
- नेबरहुड वारडन

- वह आपको बताएगे कि आगे क्या करना है।

या
> आप किसी सालीसिटर या अपने एम पी को आपके लिए शिकायत करने को कह सकते है

हम आपकी शिकायत पुलीस फोर्स को दे देंगे तांकि वह उसे रिकार्ड कर लें।

क्या कहना है

तांकि आपकी शिकायत के साथ शीघ्रता और प्रभावशाली ढंग से निपटा जाये, आपको अपना नाम, पता और विवरण कि आपसे किस प्रकार सम्पर्क किया जाये जरूर देना चाहिये।

आपको यह भी समझाना पडेगा:

> क्या हुया था
> कब हुया था
> कौन शामिल था
> क्या कहा या किया गया था
> क्या किसी और (गवाह) ने देखा कि क्या हुया
> गवाह के साथ कैसे सम्पर्क किया जा सकता है (यदि आप जानते है)
> क्या कोई नुकसान हुया या चोट लगी थी
> क्या आप मानते है कि आपकी शिकायत उस पुलीस फोर्स को 'रिकार्ड' करने के लिए दे दी जाये जिस के विरूद्ध आप शिकायत कर रहे है

शिकायत करते समय क्या आशा रखूं

चाहे आप पुलीस को उपर दी सूची की सारी जानकारी दे दें, वह आपसे कुछ और सवाल पूछ सकते है। वह एक फार्म भी भर सकते है और आपको अपनी शिकायत के बारे में बियान देने को भी कह सकते है।

पुलीस को आपकी शिकायत का ओपचारिक रिकार्ड रखना चाहिये। यदि, शिकायत करने के बाद, आप पुलीस या IPCC से नही सुनते कि आपकी शिकायत के साथ कैसे निपटा जायेगा, आपको IPCC से सम्पर्क करना चाहिये क्योंकि हो सकता है आप अपील कर सकें। (पृष्ठ 4 देखे : क्या करना है यदि जिस प्रकार आपकी शिकायत से निपटा गया आप उससे खुश नही है।)

जब आप अपनी शिकायत करेगे, पुलीस आपसे आपकी आयु, क्या आप काम करते है और आपके नसली स्रोत के बारे मे जानकारी पूछेगी। एसा पुलीस और IPCC की यह निश्चित करने मे मदद के लिए है कि सभी के साथ न्यापूर्वक व्यवहार हो

आपकी शिकायत से कौन निपटेगा

बहुत सारी शिकायते आपकी लोकल पुलीस द्वारा देखी जाती है, यदि आप इससे सहिमत हो। इसे 'लोकल रेसोलिउशन' कहते है।

यह साधारन और सबसे लचकीला तरीका है:

> पुलीस को बताने का कि क्या हुया
> जानने का कि क्यों हुया
> यदि उचित हो ते, किसी को क्षमा मांगने का अवसर देने का
> निश्चित करने का कि भविष्य मे किसी के साथ एसा न हो इसके लिये कदम उठाये गये है

अधिक गम्भीर समस्याओ के लिए स्थानिय पुलीस द्वारा अधिक ओपचारिक जांच की जरूरत हो सकती है या उन्हे IPCC के हवाले किया जा सकता है जो यह निर्णय लेंगे कि इन्हे किस प्रकार देखना है।

IPCC पुलीस की जांच की निगरानी कर सकती है या, अधिक गम्भीर केसो मे , हम अपने आज़ाद इन्वैसटीगेटर के प्रयोग से आपकी शिकायत को देख सकते है। यह तब होता है जब कोई पुलीस के सम्पर्क मे मारा जाता है या बुरी तरह घायल हो जाता है।

आपको कैसे सूचित रखा जायेगा

चाहे पुलीस हो या IPCC जो आपकी शिकायत को देख रहे है, आपका आम तौर पर अधिकार होता है कि आपको बताया जाये कि इसको किस प्रकार निपटा जायेगा, इस के नतीजे के तौर पर क्या कदम उठाये जाएगे और किस प्रकार निर्णय लिया जायेगा।

पुलीस और IPCC आपसे इस बात पर भी सहमत होंगे कि कित्नी जल्दी और किस तरीके से आपको सूचित रखा जायेगा।

एक बार जब आपकी शिकायत देख ली जाती है तो क्या होता है?

जब पुलीस या IPCC आपकी शिकायत को देखना पूरा कर लेंगे, वह आपको बताएगे कि उन्होने क्या करने का फैसला किया है।

सम्भव नतीजे हो सकते है:

> पुलीस अपने तरीके सुधारने या बदलने का निर्णय ले
> पुलीस उस अधिकारी या व्यक्ति के विरूद्ध अनुशसिक एक्शन लेने का फैसल करे जिसके बारे मे शिकायत की गई है
> अधिक गम्भीर केसो मे, पुलीस या IPCC आपकी शिकायत को आगे लेजा सकती है क्रउन परासिक्यूशन सरविस (CPS) को देकर। CPS फैसला करेगी कि क्या उचित जनकारी है किसी को क्रिमिनल कोर्ट मे ले जाने के लिये।
> कुछ केसो मे, हो सकत है आपकी शिकायत पर एक्शन लेने के लिये उचित सूचना न हो। यदि आपके साथ एसा होता है, इसका केवल यह मतलब हो सकता है कि उचित सबूत उपलब्द्ध नही है

यदि जिस प्रकार आपकी शिकायत को देखा गया आप उससे खुश नही है तो क्या करना है

यदि आप अपनी शिकायत के नतीजे से सन्तुष्ट नही है, हो सकता है आप IPCC को अपील कर सके यदि:

> आपकी शिकायत को 'रिकार्ड' नही किया गया था। आपके शिकायत करने के बाद, पुलेस या IPCC को यह बताने के लिये कि आपकी शिकायत से किस प्रकार निपटा जाएगा आपसे सम्पर्क करना चहिये। इसका अर्थ है कि आपकी शिकायत 'रिकार्ड' की गई है। आप अपील कर सकते है यदि पुलीस द्धारा आपकी शिकायत रिकार्ड न की गइ हो, यदि उन्होने फैसला नही किया कि उसे रिकार्ड करना है या नही या यदि उन्होने आपको नही बताया कि वह उसे रिकार्ड करेंगे या नही।
> 'लोकल रेसोल्शिन' के द्दौरान पुलीस ने उस प्रकार आपकी शिकायत को नही सम्भाला जैसे आप सहमत हुये थे। 'लोकल रेसोल्शिन' के शुरू मे पुलीस आपसे सहमत होगी कि आपकी शिकायत से कैसे निपटा जाएगा। आप अपील कर सकते है यदि आप समझते है कि आपकी शिकायत को उस प्रकार नहीं देखा गया जैसे आपने माना था।
> आपको उचित सूचना नही दी गई कि जांच मे क्या मिला।
> जांच के फल सरूप जो कदम पुलीस उठाने जारही है आप उससे खुश हैं।

IPCC को कैसे अपील करनी है के बारे मे अधिक जानकारी के लिये,
हमे इस नम्बर पर फोन करें 08453 002 002 (लोकल रेट)
हमेइ इस पते पर ईमेल करे enquiries@ipcc.gsi.gov.uk
या हमारी वैबसाइट पर जाएं – www.ipcc.gov.uk

इस जानकारी को अन्य भाषाओं मे हासिल करने के लिए नीचे देखें।
यह लीफलेट ब्रेल, आडियो और बडे अक्षरों मे भी उपलब्ध है।

Arabic	للحصول على هذه المعلومات باللغة العربية، قم بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت أو الاتصال بنا على العنوان المذكور أدناه.
Bengali	বাংলা ভাষায় এই তথ্য পেতে হলে অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইটে যান অথবা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
Chinese	要获得这方面的简体中文资讯，请访问我们的网站或按以下地址与我们联系。
French	Pour obtenir ces informations en français, visitez notre site Web ou contactez-nous à l'adresse ci-dessous.
Greek	Για να λάβετε τις πληροφορίες αυτές στα Ελληνικά, επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο διαδίκτυο ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση παρακάτω.
Gujarati	આ માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે, અમારી વેબસાઈટ જુઓ અથવા નીચેના સરનામે અમારો સંપર્ક કરો.
Hindi	इस जनकारी को हिन्दी भाषा में प्राप्त करने के लिए, हमारी वैबसाइट पर जाए या हमसे नीचे दिये पते पर सम्पर्क करें।
Portuguese	Para obter esta informação em português, visite o nosso web site ou contacte-nos escrevendo para a morada abaixo indicada.
Punjabi	ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
Somali	Si aad u heshid warbixintan oo ku qoran Soomaali, soo booqo bogayaga internetka ama nagala soo xiriir cinwaanka hoos ku qoran.
Spanish	Para obtener esta información en español, visite nuestra página Web o póngase en contacto con nosotros escribiendo a la siguiente dirección:
Turkish	Bu bilgilerin Türkçe'lerini arzu ediyorsaniz lütfen internet sitemizi ziyaret edin ya da bizimle aşağıdaki adresten irtibat kurun.
Urdu	یہ معلومات اردو میں لینے کے لیے ہماری ویب سائٹ کوملاحظہ کریں یا نیچے دیے گئے پتہ پر رابطہ کریں۔
Vietnamese	Để tìm biết tin tức này bằng Tiếng Việt, hãy truy cập trên mạng của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi ở địa chỉ dưới đây:
Welsh	I gael y wybodaeth hon yn Gymraeg, ewch i'n gwefan neu cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod.

Independent Police Complaints Commission
इनडिपैनडण्ट पुलीस कमप्लेंटस कमिशॅन
90 High Holborn, London, WC1V 6BH
टैलीफोन: 08453 002 002 (लोकल रेट)
वैबसाइट: www.ipcc.gov.uk
ईमेल: enquiries@ipcc.gsi.gov.uk

Independent Police
Complaints Commission
90 High Holborn
London
WC1V 6BH

www.ipcc.gov.uk
टैलीफोन: 08453 002 002 (लोकल रेट)
ईमेल: enquiries@ipcc.gsi.gov.uk

मारच 2005
रैफरैन्स: COM/10